न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/501

1. विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री किशनाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रसूलपुर पोस्ट रसूलपुर तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।
2. गणपतराम पुत्र स्व. श्री किशनाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रसूलपुर पोस्ट रसूलपुर तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।
3. सांवरमल पुत्र स्व. श्री किशनाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रसूलपुर पोस्ट रसूलपुर तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।

—— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं, राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी, खेतडी, जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुन्झुनूं निर्णय दिनांक 02.08.2022 प्रकरण संख्या 16/2022 जिसके द्वारा अपीलार्थीगण की भूमि में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये गये।

उपस्थित :–

1. श्री के. आर. शर्मा, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक– 23.05.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुन्झुनूं के निर्णय दिनांक 02.08.2022 के खिलाफ प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 19.12.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 23.06.2022 को प्रस्ताव बाबत् ग्राम पंचायत भवन रसूलपुर से डाटानगढ से गढला कलां सीमा तक जाने वाले प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दर्ज करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ ग्राम रसुलपुर, तहसील खेतडी के आराजी खसरा नम्बर 85, 86, 118, 117, 1675/168, 19, 20, 17, 13, 47, 84, 169, 182, 181, 1564/180 में से मौके पर चालू स्थाई रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुंझुनूं ने तहसीलदार खेतडी के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 23.06.2022 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 85, 86, 118, 117, 1675/168, 19, 20, 17, 13, 47, 84, 169, 182, 181, 1564/180 मौके पर सार्वजनिक चालू स्थाई रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2022 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुंझुनूं के उक्त निर्णय दिनांक 02.08.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री किशनाराम द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुंझुनूं दिनांक 02.08.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार महोदय खेतड़ी द्वारा रास्ते के प्रस्ताव को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2016 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष भिजवाये गये जिसमें से अपीलार्थीगण की खातेदारी खसरा नम्बर 47 में से 0.1680 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 10.05.2022 को प्रस्ताव भिजवाया गया। जिसके आधार पर आदेश दिनांक 02.08.2022 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुंझुनूं द्वारा खसरा न. 47 में से 0.1680 हैक्टेयर भूमि रास्ते में दर्ज करने के आदेश पारित किये गये इस प्रकार प्रकरण को राज्य सरकार के आदेश परिपत्र के छः वर्ष पश्चात् सम्बन्धित खातेदारान को नोटिस जारी किये बिना ही दिनांक 02.08.2022 को एक पक्षीय रूप से आदेश पारित कर दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुन्झुनू ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2022 द्वारा बिना किसी कानूनी प्रावधान के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 तथा राजस्थान भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1959 के विपरीत व उसकी अवहेलना कर निर्णय पारित किये गये है। जिन्हें किसी भी अवस्था में कायम नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का यह परम कर्तव्य था कि पक्षकारों की तामील को प्रोपर रूप से करवाई जाकर जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समय दिया जाकर गुणावगुण पर सुनवाई कर आदेश पारित करना चाहिये था। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को बिना सुनवाई का अवसर दिये हुये एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है।

अपीलार्थी की कृषि भूमि पर मौके पर कोई रास्ता चालू नही था और ना ही राजस्व रिकार्ड में कभी रास्ता रहा है एवं राजस्व नक्शे में केवल पगडन्डी के निशानात रहे है यदि कोई रास्ता भू–प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान मौके पर होता तो भू–प्रबन्ध के समय राजस्व नक्शे में रास्ते को दर्शाया जाता। उक्त स्थिति के होते हुए भी पटवार हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने गलत रिपोर्ट तहसीलदार खेतड़ी के समक्ष प्रस्तुत की। तहसीलदार खेतड़ी ने दिनांक 10.05.2022 को रिपोर्ट पटवारी द्वारा एक पक्षीय रूप से अपीलार्थी को बिना सूचित किये हुये तैयार की गई। उसी को आधार मानते हुये तहसीलदार खेतड़ी द्वारा रास्ते का प्रस्ताव भिजवा दिया गया। जबकि मौके पर ना तो तहसीलदार खेतड़ी गये और ना ही पटवार हल्का रसूलपुरा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक नंगलीसलेदीसिंह गये। ऐसी स्थिति में उक्त तथ्यों पर गौर नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। वर्तमान राजस्व नक्शे को देखने से ही स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हो रहा है कि खसरा नं. 47 में अवैधानिक तरीके से रास्ता कायम किया गया है। जिससे पूर्णतया स्पष्ट है कि खसरा नं. 47 में कभी भी प्रचलित रास्ता नहीं रहा है। आदेश दिनांक 02.08.2022 में स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा है कि अपीलार्थी को आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार का कोई सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया और ना ही मौके पर रिपोर्ट बनाने से पहले किसी प्रकार का उपस्थित होने का नोटिस अपीलार्थी को दिया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क में रास्ता प्राप्त करने के प्रावधान दिये गये है जिसमें निजी खातेदारी कृषि भूमि में रास्ता कोई व्यक्ति चाहता है तो धारा 251क के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही कर सकता था। इस तथ्य व कानूनी बिन्दू पर ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का कि रिपोर्ट व तहसीलदार जी के प्रस्ताव को अकाट्य प्रमाण मानकर एवं सम्बन्धित पटवारी के बयान दर्ज न करके आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। तहसीलदार महोदय के रास्ते के प्रस्ताव को ही अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तिम रूप से मान लिया जबकि खसरा नम्बर 47 में कभी भी मौके पर रास्ता नहीं रहा। तहसीलदार महोदय एवं पटवारी, गिरदावर आदि प्रस्ताव बनाने से पूर्व मौके पर नहीं गये और ना ही मौके के सम्बन्ध में अपीलार्थीगण को कोई नोटिस नहीं दिया गया इस प्रकार अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों की अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत पटवारी रिपोर्ट एक निश्चित फोरमेट में बनाई गई है जिसमें खाली जगह पर पेन से लिखा गया है एवं ना ही मौके पर सम्बन्धित खातेदारान को बुलाया गया और ना ही मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित खातेदारान को मौका रिपोर्ट बनाने की कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में जिस मौका रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है वो भी प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण सही नहीं है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों एवं कानूनी बिन्दूओं पर गौर नहीं करके भारी कानूनी भूल की है। पटवार हल्का रसूलपुर द्वारा गलत रूप से प्रचलित रास्तों की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 10.05.2022 को फर्जी रूप से तैयार कर सम्बन्धित गिरदावर द्वारा दिनांक 14.06.2022 को अपने हस्ताक्षर कर तहसीलदार खेतड़ी को भेजी गई तथा तहसीलदार खेतड़ी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तावित रास्ते की अभिशंषा की गई और तहसीलदार खेतड़ी द्वारा सरासर गलत व कानून के विपरित प्रस्तावित अभिशंषा के आधार पर गलत रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 02.08.2022 पारित कर दिया जो कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। तहसीलदार खेतड़ी द्वारा रास्ते के सम्बन्ध में प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया और उसके केवल कुछ समय पश्चात् अपीलार्थीगण को बिना कोई सूचना नोटिस दिये प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध आदेश दिनांक 02.08.2022 पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। सभी आस–पास के खातेदारों के पास पहले से ही रास्ता उपलब्ध है। ऐसी कोई आवश्यकता रास्ते के सम्बन्ध में नहीं है। फिर भी यदि कोई खातेदार पीड़ित है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251ए के तहत अलग से कार्यवाही कर सकता था। अधीनस्थ न्यायालय से इस कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं करके भारी कानूनी भूल की है इस कारण से आदेश दिनांक 02.08.2022 निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि ग्राम रसूलपुर तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं हाल खसरा नम्बर 48 व 49 गत खसरा नम्बर 39 व 40 में से होकर पहले से ही रास्ता कायम है, जो गूगल नक्शे को देखने से भी रास्ता खसरा नम्बर 48 व 49 में से स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह साबित हो रहा है कि जहां पर पहले से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। ऐसी स्थिति में जहां पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो कानूनी रूप से नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। गूगल नक्शे में भी अपीलार्थी के हाल खसरा नम्बर 47 गत खसरा नम्बर 37/1 मीन, 38 में कोई रास्ता दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में जहां पर कोई रास्ता दर्शित ही नहीं है तो रास्ता कायम करने का कोई औचित्य ही नहीं है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1953 की राजस्व नक्शा ड्रेस शीट में पहले से ही कटान का रास्ता उपलब्ध है। माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा आर.आर.डी. 2022 वाल्यूम 2 पेज 943 नरेन्द्र बनाम होरालाल वगैरह मे यह अवधारित किया है कि किसी भी न्यायालय द्वारा न्यायिक कार्यवाही करते हुये न्यायिक विवेक का प्रयोग किया जाना और सभी पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार आवश्यक है और इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पक्षकारों को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और न ही अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की सुनवाई के संबंध में किसी प्रकार के कोई नोटिस जारी किये गये। इस प्रकार स्पष्ट रूप से इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इस प्रकार राजस्व मण्डल का निर्णय इस प्रकरण में चस्पा होता है। इस कारण से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय 2022 (2) आर.आर.टी. पेज 943 नरेन्द्र बनाम हीरालाल निर्णय दिनांक 24.06.2022 में यह अवधारित किया है कि पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रकरण के निस्तारण के लिये न्यायहित में आवश्यक है, माननीय मण्डल

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वारा प्रकरण को पर्याप्त सुनवाई हेतु मामले को प्रतिप्रेषित किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.08.2022 की जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के कोई नोटिस वगैरह अपीलार्थी को नहीं दिये गये थे। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 30.11.2022 को होने पर नकल के लिये आवेदन किया गया जो नकल अपीलार्थी को दिनांक 30.11.2022 को मिली। उसके पश्चात् अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील प्रस्तुत करने हेतु अधिवक्ता को फाईल सुपुर्द की गई। अधिवक्ता महोदय ने फाईल तैयार की इस प्रकार निर्णय दिनांक 02.08.2022 से जानकारी की दिनांक 30.11.2022 तक की अवधि से अपील अंदर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी प्रार्थी द्वारा जानबुझकर नहीं होकर सदभावनापूर्वक है प्रार्थी की कोई दुर्भावना नहीं रही है। इस कारण से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 02.08.2022 से जानकारी की दिनांक 30.11.2022 तक की अवधि को अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील को अन्दर मियाद शुमार माना जाकर गुणावगुण पर निर्णित करने के आदेश फरमावें। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार फरमाया जाकर आदेश दिनांक 02.08.2022 द्वारा पारित न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं प्रकरण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 व 132 भू–राजस्व अधिनियम बाबत् रास्ता प्रकरण संख्या 16/2022 को निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार खेतडी, जिला झुन्झुनूं द्वारा दिनांक 23.06.2022 को प्रस्ताव बाबत् ग्राम पंचायत भवन रसूलपुर से डाटानगढ से गढला कलां सीमा तक जाने वाले प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दर्ज करवाये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। जिसके साथ ग्राम रसुलपुर, तहसील खेतडी के आराजी खसरा नम्बर 85, 86, 118, 117, 1675/168, 19, 20, 17, 13, 47, 84, 169, 182, 181, 1564/180 में से मौके पर चालू स्थाई रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुन्झुनूं को भिजवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुंझुनूं ने तहसीलदार खेतडी के प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 23.06.2022 के उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बर 85, 86, 118, 117, 1675/168, 19, 20, 17, 13, 47, 84, 169, 182, 181, 1564/180 मौके पर सार्वजनिक चालू स्थाई रास्ते को राजस्व रिकार्ड में किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2022 पारित किये गये हैं। जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अपीलार्थी की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट को अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2022 की जानकारी दिनांक 30.11.2022 को होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त भूमि का दिनांक 10.05.2022 को पटवारी हल्का द्वारा रास्ता का प्रस्ताव पटवारी हल्का रसूलपुर व तहसीलदार द्वारा बनाया गया है जिसमें उन्होने स्पष्ट रूप

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

से अपनी उक्त रिपोर्ट में अंकित किया कि गणपतराम पुत्र किशनाराम, विनोद कुमार पुत्र किशनाराम, सांवरमल पुत्र किशनाराम खसरा नम्बर 47 रकबा 5.47 है0 में 0.1680 हैक्टेयर स्थित वाके ग्राम रसूलपुर, पटवार मण्डल रसुलपुर, तहसील खेतडी, जिला झुंझुनूं का काबिज काश्तकार खातेदार है। उपरोक्त आराजी अपीलार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी जो कि रिकार्डेड खातेदार काश्तकारान है, को कोई नोटिस व सूचना जारी नहीं की और ना ही पटवारी हल्का व तहसीलदार खेतडी द्वारा मौका निरीक्षण करते समय अपीलार्थी काश्तकार, खातेदार को कोई सूचना दी गई बल्कि समस्त कार्यवाही अपीलार्थी की गैर मौजूदगी में कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। प्रकरण में परिपत्र दिनांक 10.08.2016 की पूर्ण पालना किया जाना भी पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2022 पारित करने से पूर्व भूमि विवादग्रस्त के खातेदार अपीलार्थीगण को किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना या सुनवाई इत्यादि का कोई अवसर नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2022 न्याय के प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उचित नहीं ठहराया जा सकता तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.08.2022 को अपीलार्थीगण के खसरा नम्बर 47 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतडी, जिला झुन्झुनूं को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण में पुनः गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर